भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय / ...
... विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
3/240, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
... / Phone : 91-522-2391287
ई-मेल / E-mail : rolucknow@...
...nhai.org

13014/16/RO/Lko/2015/31868 Date-24.06.15

सेवा में,

श्री आर०सी० बरनवाल
मुख्य अभियन्ता (रा०मा०)
लोक निर्माण विभाग
96, महात्मा गांधी मार्ग
लखनऊ

विषय:- रा०मा० सं०-24 लखनऊ, सीतापुर, दिल्ली मार्ग पर बक्शी का तालाब से रा०मा० सं०-24ए जंक्शन तक मार्ग के दोनों ओर साइकिल ट्रैक के निर्माण के संबंध मे।

संदर्भः-

1- आपका पत्रांक 2628एन०एच / 61एन० / 2015 दिनॉक 11.05.2015।
2- आपका पत्रांक 2657एन०एच / 61एन० / 2015 दिनॉक 12.05.2015।
3- परियोजना निदेशक, पी०आई०यू० लखनऊ का पत्रांक 355 दिनॉक 21.05.2015।

महोदय,

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। संदर्भित पत्र के द्वारा रा०मा० सं०-24 के किमी० 482.00 से किमी० 488.750 कुल लम्बाई 6.750 किमी० में साइकिल ट्रैक के निर्माण (राज्य सरकार के संसाधनो द्वारा) हेतु अनापत्ति की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में परियोजना निदेशक, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी है। परियोजना निदेशक, पी०आई०यू०, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि-

1- मार्ग के किमी० 482.00 से किमी० 484.00 तक साइकिल ट्रैक का निर्माण Earthen Shoulder के उपरान्त जैसा कि संलग्नक स्कैच में दर्शाया गया है, किया जा सकता है।
2- किमी० 484.00 से किमी० 488.750 तक साइकिल ट्रैक का निर्माण नाली के बाद, जैसा कि संलग्न स्कैच मे दर्शाया गया है, किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार साइकिल ट्रैक का निर्माण राज्य सरकार के संसाधनो द्वारा किये जाने पर भा०रा०रा०प्रा० को कोई आपत्ति नही है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि भविष्य में सड़क के चौड़ीकरण के दौरान यह भाग मार्ग निर्माण में प्रयुक्त किया जा सकता है एवं लोक निर्माण विभाग का इस संबंध में कोई दावा मान्य नही होगा।

संलग्नकः- यथोपरि

खुशवंत सिंह
कर्नल (से.नि.) खुशवन्त सिंह
मुख्य महाप्रबन्धक (तक.) सह क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-
1- मुख्य महाप्रबन्धक (तक०)यू०पी०, भा०रा०रा०प्रा०, नई दिल्ली को इस कार्यालय के पत्रांक 31301 दिनॉक 26.05.2015 के अनुक्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।
2- परियोजना निदेशक लखनऊ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।